

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठारीन अधिकारी श्री परसा राम आर.एस)

मुकदमा संख्या : 37 / 2025

GCMS NO-2025/30

प्रार्थी

अप्रार्थी

किरानाराम कडवारा, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य वनाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

1. मूल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी 132 दुधली की ढाणी, सोढो की ढाणी भणियाणा जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स रिलाईंस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरुपति नगर जोधपुर रोड पोकरण जैसलमेर। पीओ 7073477575
2. पंकज वाडिया पुत्र श्री अशोक कुमार वाडिया उम्र 39 वर्ष निवासी डी-39 तारानगर खीमी फाटक आर.ओ.पी. डोटवाडा जयपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स रिलाईंस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरुपति नगर जोधपुर रोड पोकरण जैसलमेर। पीओ 9829289735
3. M/S Reliance Retail Ltd 3d Floor, Court House, Lokmanya Tilak Mag, Dhobi Talao Mumbai, Greater Mumbai Maharashtra-400002(Authorized Premises-Khasra NOa 936, Plot No 2A&2B Tirupati Nagar Jodhpur Road Pokharan jaisalmer 345021
4. श्री आशीष कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरीराम अग्रवाल उम्र 39 वर्ष निवासी बछावालों का मोहल्ला बड़ा बाजार बीकानेर। मैसर्स नवरात्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड एफ-210 विछावल इण्डस्ट्रियल एरिया बीकानेर 334006।
5. मैसर्स नवरात्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड एफ-210 विछावल इण्डस्ट्रियल एरिया बीकानेर 334006।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 उपस्थित :-

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।

:: निर्णय ::

दिनांक: 30.07.2025

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिसा तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.12.2024 को दोपहर 04.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स रिलाईंस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरुपति नगर जोधपुर रोड पोकरण जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स रिलाईंस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरुपति नगर जोधपुर रोड पोकरण जैसलमेर पर श्री मूल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी 132 दुधली की ढाणी, सोढो की ढाणी भणियाणा जैसलमेर (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना

न्याय निर्णय अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी तमाम प्रतियां संलग्न हैं। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर बेसन लड्डू (स्नेकटेक) रखा गिला जिसके गिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो पार्श्व भाग में संलग्न है। तत्पश्चात बेसन लड्डू (स्नेकटेक) 02 किलोग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिशा, जिसके पेटे 538/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा बेसन लड्डू (स्नेकटेक) को चार भागों में विभक्त कर चार स्थानी शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-2117 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर रिलप एन-2117 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से निपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर रिलप उपर भाग से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह द्वारा सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेषर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-2117 बेसन लड्डू (स्नेकटेक) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर राही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को किरानाशाम कडवासरा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 09.12.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 06.12.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 28.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1840/Act/2024/1886 दिनांक 16.12.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए /2024/स्वीकृति/एन-2117/2729 दिनांक 21.02.2025 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री मूल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी 132 दुधली की ढाणी, सोढो की ढाणी भणियाणा जैसलमेर (विक्रेता) मैरार्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2वी तिरुपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर 2. पंकज बालिया पुत्र श्री अशोक कुमार बालिया उम्र 39 वर्ष निवासी डी-39 तारानगर खीमी फाटक आर. ओ.वी. झोटवाडा जयपुर (मालिक/विक्रेता) मैरार्स रिलाईस रिटेनल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2वी तिरुपति नगर जोधपुर रोड़ पोकरण जैसलमेर 3. M/S Reliance Retail Ltd 3d Floor, Court House, Lokmanya Tilak Mag, Dhobi Talao Mumbai, Greater Mumbai Maharashtra-400002(Authorized Premises-Khasra NOa 936, Plot No 2A&2B Tirupati Nagar Jodhpur Road

न्याय निर्णयन आदेशिका 114
अभिहित बिला प्रतिनिधि
जैसलमेर

Pokharan Jaisalmer 345021 4- श्री आशीष कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरीराम अग्रवाल उम्र 39 वर्ष निवासी बसवालों का मोहल्ला बड़ा बाजार बीकानेर। मैरर्स नवरात्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड एफ-210 जिलावल इण्डस्ट्रियल एरिया बीकानेर 334006 5. मैरर्स नवरात्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड एफ-210 जिलावल इण्डस्ट्रियल एरिया बीकानेर 334006 के द्वारा सबस्टेण्डर्ड वेरान लड्डू (रनेकटेक) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 28 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही गिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी सं. 01 उपस्थित। अप्रार्थी 02 से 05 तक को न्यायहित में कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी न तो उपस्थित हुए और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण न्यायालय में हाजीर नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पार्थना पत्र का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./1840/Act/2024/1886 दिनांक 16.12.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने के हेतु भन्न किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए हैं उसको मध्य-नजर रखते हुए न्यायहित में शारित आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शारित अधिरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 से 05 पर संयुक्त रूप से शारित राशी 25000/- पच्चीस हजार अक्षरों रुपये मात्र की शारित आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अपार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अपार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित समयावधि में शारित शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जायें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसा राम)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

दिनांक 20/8/25

क्रमांक:कोर्ट / 2025 / 1162 - 1167

पतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
- 2 भूल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी 132 दुधली की ढाणी , सोढो की ढाणी भणियाणा जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैरर्स रिलाईरा रिटेल लिमि. खसरा नं. 936 प्लॉट नंबर 2ए 2बी तिरुपतिनगर जोधपुर रोड पोकरण जैसलमेर। मो 7073477575